डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 117] रायपुर, गुरुवार , दिनांक 31 मई 2001—ज्येष्ठ 10, शक 1923

गृह विभाग

(सी-सेक्शन)

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मई 2001

क्रमांक 3689/81-सी.सेक्शन.—चूंकि राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व सांप्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रयास डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिए सक्रिय हो जाने की संभावना है.

और चूंकि जिला मजिस्ट्रेट, रायपुर की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है.

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 सं. 65) की धारा-3 की उपधारा (2) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, रायपुर में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 1 जून, 2001 से 31 अगस्त, 2001 तक की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

Raipur, the 31st May 2001

No. 3689/81/HOME.—Whereas, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and to commit any act prejudicial to the maintenance of public order, and to commit acts prejudicial to the security of the State.

AND WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of Jurisdiction

of the District Magistrate, RAIPUR the State Government is satisfied that it is necessary so to do.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, RAIPUR may during the period from 1st June, 2001 to 31st August, 2001, if satisfied as provided in sub-section (2) of the said Section exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. राजपाल, अपर सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.